

इसे वेबसाईट www.govtpressmp.nic.in से भी डाउन लोड किया जा सकता है.



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 606]

भोपाल, बुधवार, दिनांक 30 नवम्बर 2022—अग्रहायण 9, शक 1944

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 30 नवम्बर 2022

क्र. आर नं. 1210-969278-2022 बाईस-पं.-1.—मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम, 1993 (क्रमांक 01 सन् 1994) की धारा 93 की उपधारा (3) के साथ पठित धारा 2 के खण्ड (इक्कीस) द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक 309-126-बाईस-पं.-2-94, दिनांक 5 मार्च 1994 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:—

संशोधन

उक्त अधिसूचना में, सारणी में, अनुक्रमांक 43 तथा उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर, निम्नलिखित अनुक्रमांक तथा उससे संबंधित प्रविष्टियां स्थापित की जाएं, अर्थात्:—

(1)	(2)	(3)
“43	(1) ग्राम पंचायत के लिए — मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत	89 (1)”
	(2) जनपद पंचायत के लिए — कलेक्टर/अतिरिक्त कलेक्टर	
	(3) जिला पंचायत के लिए — संभागीय आयुक्त/अतिरिक्त संभागीय आयुक्त	

R No. 1211-969278-2022-XXII-P-1.—In exercise of the powers conferred by clause (xxi) of Section 2 read with sub-section (3) of Section 93 of the Madhya Pradesh Panchayat Raj Avam Gram Swaraj Adhiniyam, 1993 (No. 01 of 1994), the State Government, hereby, makes the following amendments in this department's Notification No. 309-126-XXII-P-2-94, dated 5th March, 1994, namely :—

AMENDMENT

In the said Notification, in the table, for serial number 43 and entries relating thereto, the following serial number and entries relating thereto, shall be substituted, namely:—

(1)	(2)	(3)
“43	(1) For Gram Panchayat	— Chief Executive Officer, Zila Panchayat 89 (1)”
	(2) For District Panchayat	— Collector/Additional Collector
	(3) For District Panchayat	— Divisional Commissioner/ Additional Divisional Commissioner.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
कैदार सिंह, उपसचिव.